कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, (पी0एम0जी0एस0वाई0)
लो0नि0वि0 सल्ट, (अल्मोड़ा)

e.mail : eepmgsysalt@rediffmail.com

पत्रांक 758 / उ2सी० दिनांक 21 - .09.2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग
अल्मोड़ा।

विषय :– जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड सल्ट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मनालधुरा से नाननकोटी मोटर मार्ग प्रस्ताव संख्या (10294) निर्माण हेतु 2.700 है0 वनभूमि का गैरवानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन का पत्र संख्या 958/X-4-15/I(490)/2016 दिनांक 03.11.2015

महोदय,

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन के उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर कतिपय शर्तो के अधीन सैद्वान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा उक्त सैद्वान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित निम्नलिखित शर्तो का अनुपालन किया जाना है।

क्र0सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
I	शर्त संख्या 1 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 5.400 है0 सिविल एवं सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु देय धनराशि प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या 596/3–5–2 दिनांक 19.08.2015 में उल्लिखित निर्धारित दर के अनुसार आंकलित कर जमा की जानी है।	वचनवद्वता संलग्न है।
1.1	भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सैद्वान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 1 के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित सिविल एवं सोयम वन भूमि जिसका क्षेत्रफल 5.4 है0 है, को भारतीय वन अधिनियिम 1927 के तहत संरक्षित वन घोषित किया जायेगा व इस भूमि को वन विभाग के पक्ष में नामान्तरित/हस्तान्तरित किया जायेगा तथा इसे छः माह के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा। उक्त कार्यवाही सम्पन्न करवाकर जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र मय अभिलेख इस कार्यालय को अनुपालन आख्या के साथ उपलब्ध कराया जाना है तथा प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उक्त भूमि को अपने कब्जे में लिये जाने का प्रमाण पत्र भी इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।	जिलाधिकारी महोदय अल्मोड़ा के पत्रांक 6360/ग्यारह–43/2014–15 दिनांक 19.05.2015 एवं पत्रांक 8930/ग्यारह–43/2014–15 दिनांक 12.09.2023 के द्वारा अमलदरामद के आदेश की प्रति संलग्न है।
2	शर्त संख्या 2 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित कार्यस्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु देय धनराशि प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या 596/3–5–2 दिनांक 19.08.2015 में उल्लिखित निर्धारित दर के अनुसार आंकलित कर जमा की जानी है।	वचनवद्वता संलग्न है।
3	शर्त संख्या 3 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा आनलाइन भरे गये प्रपत्र भाग–2, के अनुसार प्रश्नगत क्षेत्र इको क्लास–V के अन्तर्गत घनत्व 0.2 है। तदनुसार भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में उल्लिखित दरों के अनुसार एन0पी0वी0 की धनराशि आंकलित कर जमा की जानी है।	एन0पी0वी0 की धनराशि जमा है।

Scanned with CamScanner

4	भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा आनलाइन अवगत कराया गया है कि वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में प्रदत्त सैद्वान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तो की अनुपालन आख्या/चालान आनलाइन अपलोड किया जाय। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि FC Amendment Rules 2014 के बिन्दु 6 उपबिन्दु क एवं ख में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी, प्रयोक्ता एजेन्सी को सैद्वान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तो के अनुसार एन०पी०वी०, क्षतिपूरक वृक्षारोपण, आरा–पारा/मोटर मार्ग के दोनो ओर रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण आदि की धनराशि जमा करेगें हेतु डिमाण्ड नोट प्रेषित करेगें, जो प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा आनलाइन अपलोड करेगें, जिसका नोडल अधिकारी कार्यालय द्वारा आनलाइन सत्यापन किया जायेगा। तत्पश्चात प्रयोक्ता एजेन्सी आनलाइन चालान जनरेट कर देय धनराशि के भुगतान की कार्यवाही करेगें।	वचनवद्वता संलग्न है।
5	प्रयोक्ता अभिकरण हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो, उपलब्ध कराये जाने के पश्चात निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	वचनवद्वता संलग्न है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल संस्तुति एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।	वचनवद्वता संलग्न है।
7	प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अभिलेखों/प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	वचनवद्वता संलग्न है।
8	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में चिन्हित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन होने अथवा असन्तोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार पर वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त का अधिकार सुरक्षित है।	वचनवद्वता संलग्न है।
9	उपरोक्त शर्तो के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	वचनवद्वता संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त मोटर मार्ग में आने वाले वनभूमि हस्तान्तरण की विधिवत स्वीकृति निर्गत कराने हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही कराने की कृपा करें।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।

21/09/2023

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड (पी.एम.जी.एस.वाई.)
लो०नि०वि० सल्ट, (अल्मोड़ा)

Scanned with CamScanner

वचनवद्वता प्रमाण–पत्र

कार्य का नामः– जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मनालधुरा से नाननकोटी मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वन भूमि का प्रत्यावर्तन।

शर्त संख्या 01 :– शर्त संख्या 1 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 5.400 है0 सिविल एवं सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु देय धनराशि प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या 596/3–5–2 दिनांक 19.08.2015 में उल्लिखित निर्धारित दर के अनुसार आंकलित कर जमा कर दी गई है। वचनवद्वता संलग्न है।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
सल्ट (अल्मोड़ा)

Scanned with CamScanner

वचनवद्धता प्रमाण–पत्र

कार्य का नामः– जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मनालधुरा से नाननकोटी मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वन भूमि का प्रत्यावर्तन।

शर्त संख्या 1.1 :– भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सैद्वान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 1 के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित सिविल एवं सोयम वन भूमि जिसका क्षेत्रफल 5.4 है0 है, को भारतीय वन अधिनियिम 1927 के तहत संरक्षित वन घोषित किया जायेगा व इस भूमि को वन विभाग के पक्ष में नामान्तरित/हस्तान्तरित किया जायेगा तथा इसे छः माह के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा। उक्त कार्यवाही सम्पन्न करवाकर जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र मय अभिलेख इस कार्यालय को अनुपालन आख्या के साथ उपलब्ध कराया जाना है तथा प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उक्त भूमि को अपने कब्जे में लिये जाने का प्रमाण पत्र भी इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है, के सम्बन्ध में वचनवद्वता की जाती है।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
सल्ट (अल्मोड़ा)

Scanned with CamScanner

वचनवद्धता प्रमाण–पत्र

कार्य का नामः– जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मनालधुरा से नाननकोटी मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वन भूमि का प्रत्यावर्तन।

शर्त संख्या 02 :– शर्त संख्या 2 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित कार्यस्थल के आस पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु देय धनराशि प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या 596/3–5–2 दिनांक 19.08.2015 में उल्लिखित निर्धारित दर के अनुसार आंकलित कर दी गई है। वचनवद्धता संलग्न है।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
सल्ट (अल्मोड़ा)

Scanned with CamScanner

वचनवद्धता प्रमाण–पत्र

कार्य का नामः–	जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मनालधुरा से नाननकोटी मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वन भूमि का प्रत्यावर्तन।
शर्त संख्या 03 :–	शर्त संख्या 3 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा आनलाइन भरे गये प्रपत्र भाग–2, के अनुसार प्रश्नगत क्षेत्र इको क्लास–V के अन्तर्गत घनत्व 0.2 है। तदनुसार भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के अनुसार एन0पी0वी0 की धनराशि रु0 1773900.00 मात्र एवं एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि रु0 940167.00 मात्र जमा कर दी गई है। वचनवद्वता प्रमाण पत्र संलग्न है।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
सल्ट (अल्मोड़ा)

Scanned with CamScanner

वचनवद्धता प्रमाण–पत्र

कार्य का नामः– जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मनालधुरा से नानकोटी मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वन भूमि का प्रत्यावर्तन।

शर्त संख्या 04 :– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा आनलाइन अवगत करया गया है कि वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में प्रदत्त सैद्वान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तो की अनुपालन आख्या/चालान आनलाइन अपलोड किया जाय। उक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि FC Amendment Rules 2014 के बिन्दु 6 उपबिन्दु क एवं ख में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी प्रयोक्त एजेन्सी को सैद्वान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तो के अनुसार एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण, आस पास/मोटर मार्ग के दोनो ओर रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण आदि की धनराशि जमा करेगें हेतु डिमाण्ड नोड प्रेषित करेगें, जो प्रयोक्त एजेन्सी के द्वारा आनलाइन अपलोड करेगें। जिसका नोडल अधिकारी कार्यालय द्वारा आनलाइन सत्यापन किया जायेगा। तत्पश्चात प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आनलाइन चालान जनरेट कर देय धनराशि का भुगतान कर दिया गया है। वचनवद्वता प्रमाण–पत्र संलग्न है।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
सल्ट (अल्मोड़ा)

Scanned with CamScanner

वचनवद्धता प्रमाण–पत्र

कार्य का नामः– जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मनालधुरा से नाननकोटी मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वन भूमि का प्रत्यावर्तन।

शर्त संख्या 05 :– प्रयोक्ता अभिकरण हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो, उपलब्ध कराये जाने के पश्चात निर्गत स्वीकृति मान्य होगी, के सम्बन्ध में वचनवद्वता प्रमाण पत्र संलग्न है।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
सल्ट (अल्मोड़ा)

Scanned with CamScanner

वचनवद्धता प्रमाण–पत्र

कार्य का नामः– जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मनालधुरा से नानकोटी मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वन भूमि का प्रत्यावर्तन।

शर्त संख्या 06 :– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल संस्तुति एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का अनुपालन किया गया है। वचनवद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
सल्ट (अल्मोड़ा)

Scanned with CamScanner

वचनवद्धता प्रमाण–पत्र

कार्य का नामः– जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मनालधुरा से नाननकोटी मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वन भूमि का प्रत्यावर्तन।

शर्त संख्या 07 :– प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 का उल्लघंन नही किया गया है। वचनवद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
सल्ट (अल्मोड़ा)

Scanned with CamScanner

वचनवद्धता प्रमाण–पत्र

कार्य का नामः– जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मनालधुरा से नाननकोटी मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वन भूमि का प्रत्यावर्तन।

शर्त संख्या 08 :– प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में चिन्हित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन होने अथवा असन्तोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार पर वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त का अधिकार सुरक्षित है, का वचनवद्वता प्रमाण पत्र संलग्न है।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
सल्ट (अल्मोड़ा)

Scanned with CamScanner

वचनवद्धता प्रमाण–पत्र

कार्य का नामः– जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मनालधुरा से नाननकोटी मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वन भूमि का प्रत्यावर्तन।

शर्त संख्या 09 :– उपरोक्त शर्तो का अनुपालन कर लिया गया है।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
सल्ट (अल्मोड़ा)

Scanned with CamScanner

19	FP/UK/ROAD/10294/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/10294/2015) Manaldura to Nanankoti Motor Road	ROAD102942015570	113102942015570	03 Nov 2015	**CA:** 1243631/-, **Addl CA :** 0/- **PCA:** 0/-, **CAT :** 0/- **Safety Zone:** 0/-, **Addl PA :** 0/- **NPV:** 1773900/-, **10 years plantation for road side. :** 1035936/- **Other Charges1 :** 0/- **Other Charges2 :** 0/- **Other Charges3 :** 0/- **Total :** 4053467/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** : 19 May 2016 **Bank Name** : Corporation Bank **Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** : 19 May 2016 **Transaction Date** :06 Jun 2016	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/5111912321215W51FMManaldhura-NanakotiMR.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD102942015570)
20	FP/UK/ROAD/10888/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/10888/2015) Chamkhala-Rankuna Motor Road	ROAD108882015016	113108882015016	27 Aug 2015	**CA:** 0/-, **Addl CA :** 0/- **PCA:** 0/-, **CAT :** 0/- **Safety Zone:** 0/-, **Addl PA :** 0/- **NPV:** 653715/-, **Road side blanks plantation :** 590000/- **Other Charges1 :** 0/- **Other Charges2 :** 0/- **Other Charges3 :** 0/- **Total :** 1243715/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** : 03 Nov 2015 **Bank Name** : Corporation Bank **Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** : 05 Nov 2015 **Transaction Date** : 03 Dec 2015	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/10112312251212WFMX4Chamkhal-RankunaMotorRoad.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD108882015016)
21	FP/UK/ROAD/10529/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/10529/2015) Bour Malla to Bour Talla Motor Road	ROAD105292015775	113105292015775	09 Jul 2015	**CA:** 0/-, **Addl CA :** 0/- **PCA:** 0/-, **CAT :** 0/- **Safety Zone:** 0/-, **Addl PA :** 0/- **NPV:** 591300/-, **Street plantation :** 600000/- **Other Charges1 :** 0/- **Other Charges2 :** 0/- **Other Charges3 :** 0/- **Total :** 1191300/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** : 22 Mar 2016 **Bank Name** : Corporation Bank **Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** : **Transaction Date** : 14 Sep 2015	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/3112112712145FZL7NPV.pc Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD105292015775)

12

Scanned with CamScanner

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UK/ROAD/13914/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/13914/2015) Deghat to Lalnagari Motor Road	ROAD139142015528	6113914528	28 Dec 2017	CA: 0/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 3248180/- , Other Charges : 0/- Additional NPV : 1721535/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 4969715/-	Paid	Not Done	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/030520231501273729_FPUKROAD139142015_User_Fund_Demanded_71F52.pc
2	FP/UK/ROAD/10294/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/10294/2015) Manaldura to Nanankoti Motor Road	ROAD102942015517	6110294517	03 Nov 2015	CA: 0/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 940167/- , Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 940167/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 15 Feb 2023 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On :12 Apr 2023 Transaction Date :04 Jul 2023	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/181120221301246792_FPUKROAD102942015_User_Fund_Demanded_15864.pc Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD102942015517)
3	FP/UK/ROAD/32804/2009 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/32804/2009) jorashi jaikhal MR	ROAD328042009124	6132804124	08 Jan 2016	CA: 0/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 2848493/- , Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 2848493/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 09 Dec 2022 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 16 Dec 2022 Transaction Date : 23 Dec 2022	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/291020221157594014_FPUKROAD328042009_User_Fund_Demanded_847X2.pc Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD328042009124)
4	FP/UK/ROAD/37246/2018 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/37246/2018) Jourashi-Ghanyal (Gwalbeena) to Ghanyal Palla Link Motor Road	ROAD372462018874	6137246874	27 Jan 2021	CA: 2108749/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 2054439/- , Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 4163188/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 10 Feb 2021 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 10 Feb 2021 Transaction Date : 10 Mar 2021	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/211112371210LKURSdemandnote.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD372462018874)

Scanned with CamScanner

32 डी

①

आदेश

जनपद अल्मोड़ा मे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत मनालधूरा से नागनाकोटी तक प्रस्तावित मोटरमार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि के सापेक्ष सिविल भूमि को नियमानुसार क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष मे हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने के सबंध मे अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सल्ट जनपद–अल्मोडा के पत्रांक 414/32–सी. दिनांक 13–5–2015 के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर तहसीलदार, सल्ट के पत्र संख्या ज्ञाप/क्षतिपूरक/र०का०/2015, दिनांक:11–05–2015 पर उप जिलाधिकारी, सल्ट के पृष्टांकन पत्र के क्रम मे क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गयी भूमि के निम्नवतः अभिलेख इस कार्यालय को उपलब्ध कराये गये है :–संयुक्त निरीक्षण रिर्पोट/प्रस्तावित ग्राम की खतौनी एवं मौका खसरा, प्रारूप–2, तथा प्रस्तावित ग्राम की भूमि का मौका नक्शा एवं तहसीलदार सल्ट/उप जिलाधिकारी, सल्ट की आख्या के अनुसार क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गयी भूमि राजस्व ग्राम ग्राम–इकूखेत, पटवारी क्षेत्र–गाजर तहसील–सल्ट के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या–37 की श्रेणी–9 (3)ड0 " बंजर कांबिल आबाद " के पैमायसी खेत न0 835 की 1.163 है0, खेत न0–838 की 1.104 है0, तथा खेत न0–929 मध्ये 0.433 है0 इस प्रकार कुल–2.700 हैक्टयर सिविल भूमि को क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित किया गया है। उक्त प्रयोजन हेतु प्रस्तावित की गई भूमि को वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण मे हस्तान्तरित/नामान्तरित की जाती है। तहसीलदार, सल्ट कृ0 तदनुसार ही राजस्व अभिलेखों मे अमलदरामद किया जायें, अमलदरामद के उपरान्त खतौनी नकल की प्रति प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग अल्मोड़ा को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें ।

History In ....
Diry No. 716
File No. 32डी
Date of Receipt 13-6-15

(विनोद कुमार सुमन)
जिला अधिकारी, अल्मोड़ा

कार्यालय जिला अधिकारी, अल्मोड़ा
संख्या 6360 / ग्यारह–13 / 2014–15, दिनांक: 19 मई, 2015

प्रतिलिपि–निम्नाकिंतो को सूचनार्थ प्रेषित :–

1– प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, अल्मोड़ा ।
2– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सल्ट, जनपद–अल्मोड़ा ।
3– उप जिलाधिकारी, सल्ट ।
4– तहसीलदार, सल्ट (अल्मोड़ा) को उपरोक्तानुसार अनुपालन किये जाने हेतु ।

R-716/32डी - 15-6-15

19.05.15
(विनोद कुमार सुमन)
जिला अधिकारी, अल्मोड़ा

~~प्रतिलिपि - सहायक अभियन्ता द्वितीय को~~
~~आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित~~

यथाप्रति प्रमाणित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
सल्ट (अल्मोड़ा)

7.6.2018

5.12.18

Scanned with CamScanner

आदेश

अपर प्रमुख वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, देहरादून के पत्र संख्या 1503/दिनांक 18 नवम्बर 2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में मनालधूरा से नाननकोटा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.700 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु [illegible] का प्रत्यावर्तन करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 5.4 है0 सिविल भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/नामान्तरित करने के निर्देश है। उक्त के अनुपालन में पूर्व में कार्यालय आदेश संख्या 6360/ग्यारह-43/2014-15, दिनांक 19 मई,2015 के द्वारा राजस्व ग्राम ढकुल्ता, राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र [illegible] तहसील सल्ट, जनपद अल्मोड़ा के गै0ज0वि0ख0खा0संख्या 37 श्रेणी 9(3) ड की कुल 2.700 है0 सिविल भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

प्रकरण मे अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सल्ट के पत्र संख्या 601/32सी0 दिनांक 28-07-2023 एवं पत्र संख्या 710/32सी० दिनांक 05-09-2023 से उक्त मनालधूरा से नाननकोटा मोटर मार्ग के निर्माण में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उक्त कार्यालय आदेश दिनांक 19 मई,2015 के सापेक्ष अवशेष 2.700 है0 सिविल भूमि का प्रस्ताव वन विभाग के पक्ष में अमलदरामद हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है।

अतः जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मनालधूरा से नाननकोटा मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 2.700 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु दोगुनी क्षेत्रफल की कुल 5.4 है0 सिविल भूमि को नियमानुसार वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण मे हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में राजस्व अनुभाग–2,उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश संख्या–2173/XVIII(II)/2012-18 (120) /2010, दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 के द्वारा निर्गत निर्देशो के अनुपालन में तथा याचक विभाग, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,अल्मोड़ा के पत्र संख्या 601/32सी0 दिनांक 28–07–2023 एवं पत्र संख्या 710/32सी० दिनांक 05–09–2023 के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर उप जिलाधिकारी, सल्ट खुमाड़ के पत्र संख्या 699/एस0टी0/ 2022–23, दिनांक 20 मई,2023 से प्राप्त प्रस्ताव/आख्या संस्तुति के साथ निम्नवतः अभिलेखों सहित क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु चयनित की गयी भूमि की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट, चयनित की गयी भूमि की खतौनी,खसरा, करार एवं नक्शा, प्रारूप–2 पर आख्या एवं अपर प्रमुख वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, देहरादून के पत्र संख्या 1503/दिनांक 18 नवम्बर,2025 के द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के आधार पर क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु पूर्व स्वीकृत 2.700 है0 भूमि के अतिरिक्त ग्राम टुकरा, राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र–टुकरा, तहसील सल्ट खुमाड, जिला अल्मोड़ा के गै0ज0वि0ख0खा0संख्या 13 की श्रेणी 9(3)ड. बंजर काबिल आबाद में दर्ज है के पैमाईश खेत संख्या– 1111 मध्ये रकवा 2.700 है0 सिविल भूमि को क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण मे हस्तान्तरित/नामान्तरित की जाती है। तहसीलदार, सल्ट खुमाड़ तद्नुसार ही राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद करने उपरान्त खतौनी नकल की प्रति प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, अल्मोड़ा को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

दिनांक 12 सितम्बर, 2023

(विनीत तोमर)
जिलाधिकारी, अल्मोड़ा

कार्यालय जिला अधिकारी, अल्मोड़ा।

संख्या–8930 /ग्यारह– 43/2014–15, दिनांक 12 सितम्बर,2023

प्रतिलिपिः निम्नाकिंतों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
2 अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा ।
3– उप जिला अधिकारी, सल्ट खुमाड।
5– तहसीलदार, सल्ट खुमाड को उक्तानुसार अनुपालन किये जाने हेतु प्रेषित।
6– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सल्ट।

सत्यप्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
सल्ट (अल्मोड़ा)

(विनीत तोमर)
जिलाधिकारी, अल्मोड़ा

Scanned with CamScanner